

(179)

(7)

248/319

वस्त्राभवन, मोपाल-462004

भौपाल। दिनांक 25 नवम्बर, 2009। प्र.

प्र०	अंगला

१. ब्रह्मन् गुरुद्वय का संस्कार
मन्त्रालेख, मोमाल.

४८५

समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय

महाकाल

- ४ समस्त वक्त संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीया
मव्याप्रदेश

लिङ्ग— छापामार कार्यवाही की सुवना बाबत।

— 6 —

प्रदेश में वन अपसर्धों के नियंत्रण के लिए उच्चाकस्तों द्वारा छापमार कार्यवाही की जाती है। वन संरक्षण को और अधिक सशक्त किये जाने के लिए मात्र वन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के बजाय वन मंत्री एक सेला का गठन किया गया है। उच्च सेला के प्रभासी मात्र वन मंत्रीजी के कार्यालय में पद्धति विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी होंगे। साथ ही वन विभाग हेतु एक काल सेंटर की स्थापना की गयी है जिसमें दूरमाल के माध्यम से वन अपसर्धों संबंधी सूचना जानकार व्यक्तियों द्वारा दी जाए सकती है।

✓ निर्देशित किया जाता है कि कम विमाग के क्षेत्रीय अधिकारियों/उड़नदस्तों द्वारा दर्ज बन उपस्थिति प्रकरणों की सूचना तथा प्रकरणों में जास्त अपसंधि में प्रयुक्त उपकरण, वाहन आदि की पूर्ण जानकारी निम्न कार्यालयों को कार्यवाही के तत्काल बाद दूसराष पर तथा पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाये:-

- विशेषा कर्त्तव्यस्थः अधिकारी, माठवन मंत्रीजी— मोबाईल: नंबर ९४२४७९००६२
 - वन विभाग के वन अपराध सूचना केंद्र— टोले फोन नंबर ०७५५—१५५३१२
 - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण
 - अवर संचित, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

15

(संख्या ८८)

अपर्स सचिव

મોટાલા દિવાંગ 36 જાનુઆરી 2022

पृष्ठा क्रमांक / ८९/१०-२

पृष्ठा क्रमांक १०९/१०-२

प्रतिलिपि-

११. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मातृ वन मंत्रीजी, भोपाल
 १२. अपश्चिमाञ्च मुख्य वन संरक्षक, संरक्षण
 सुवनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योपिता।

अपर सचिव

माल्हा पटेंश आण्ड्र तब विळाळ